

# MP Trade & Investment Facilitation Corporation Ltd.



(Government of Madhya Pradesh Undertaking)

MPTRIFAC (MP Trade and Investment Facilitation Corporation) is acting as the Single Window Secretariat for Investment promotion and facilitation in the state since 2004. MP TRIFAC has developed an ICT (Information & Communication Technology) enabled single window system, which allows the investor to apply online for various approvals required to setup a business in the state. The timelines for the approvals /services provided through single window portal are mentioned below. These timelines are notified under Public Service Guarantee Act.

## **Citizen Charter for Single Window System Services**

Sr. No	List of Services	Timeline
A	Commerce, Industry & Employment Department	
1	Allotment of Land  a. Issuance of Letter of Intent - 15 Days  b. Issuance of Allotment order - 7 Days  c. Execution of Lease deed - 30 Days  d. Possession - 7 Days	59 Days
2	Water Connection by AKVN	15 Days
3	Building Permission by AKVN	30 Days
4	Registration of Boilers	30 Days
5	Boiler Inspection & Renewal	17 Days
6	Permission to Transfer Boiler	15 Days
7	Registration under Boiler Act to work as Erector	30 Days
8	Registration under Boiler Act to work as Manufacturer	30 Days
9	Renewal under Boiler Act to work as Erector	30 Days
10	Renewal under Boiler Act to work as Manufacturer	30 Days
11	Permission for Manufacturing of Boilers under Boilers Act	15 Days
12	Fiscal incentives (As per policy) Issuance of intent letter Granting sanction and disbursal of applicable incentives	3 Days 60 Days
В	Labour Department	
13 14	Registration under Shops & Establishment Acts Renewal under Shops & Establishment Acts	30 Days (Provisional 1 Day) 30 Days
15	Permission for engaging contractor for labour	30 Days
16	Factory License (under hazardous & non- hazardous category)	30 Days
17	Renewal of Factories License	30 Days
18	Factory Building Plan Approval	30 Days
19	Registration under The Building and Other Construction Workers (BOCW)	30 Days
20	Registration certificate of Establishment Inter State Migrant Workmen (RE&CS) Act,1979	30 Days
С	Energy Department	

21	Electricity Connection - HT (East, West, Central Zone)	7 Days
D	Urban Development & Environment Department	
22	Fire NOC (No Objection Certificate)	60 Days
E	Pollution Control Board	
23	Consent to Establish ( Under Water Act & Air Act)	45 Days
24	Consent to Operate ( Under Water Act & Air Act)	45 Days
25	Authorization under Hazardous Waste Rules	45 Days
		45 Days (Red)
		Self-Certification (Green &
26	Consent to Operate Renewal (Under Water & Air Act)	Orange)
F	Food and Civil Supplies (Controller Weights and Measures)	
27	License as Manufacturer of Weights and Measures	45 Days
28	License as Dealer of Weights and Measures	30 Days
29	License as Repairer of Weights and Measures	30 Days
30	Registration as Packers/Importer of Weights and Measures	7 Days



# मध्यप्रदेश राजपत्र

# ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 398]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 सितम्बर 2015—आश्विन 7, शक 1937

## लोक सेवा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2015

क्र. एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-2.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्रम विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं एवं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपीली अधिकारी का पदनाम, प्रथम अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

#### मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत् श्रम विभाग की सेवाएं

					15 217	
क्र.	सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.18	दुकान संस्थान की स्थापना पंजीयन में संशोधन.	प्राधिकृत श्रम अधिकारी.	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर	30 कार्य दिवस.	संभागायुक्त
2.19	दुकान संस्थान की स्थापना पंजीयन में संशोधन के साथ नवीनीकरण.	प्राधिकृत श्रम अधिकारी.	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर	30 कार्य दिवस.	संभागायुक्त

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, **हरिरंजन राव,** सचिव.

795

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	अन्तर्राज्जीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत जारी पंजीयन एवं लायसेंस का प्रदाय करना.	जिला स्तरीय श्रम अधिकारी/जिले में राजपत्रित श्रेणी का अधिकारी पदस्थ न होने पर संबंधित संभाग का सहायक श्रमायुक्त.	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर	30 कार्य दिवस.	संभाग आयुक्त
						(5)
सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय–सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.8	संविदा श्रम ( वि. एवं स.) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत ठेकेदारों को अनुज्ञप्ति का प्रदाय.	राजपत्रित श्रेणी का जिला स्तरीय श्रम अधिकारी/ जिले में राजपत्रित श्रेणी का अधिकारी पदस्थ न होने पर संबंधित संभाग का सहायक श्रम आयुक्त.	30 कार्य दिवस	उप श्रमायुक्त	45 कार्य दिवस	अपर श्रमायुक्त / श्रमायुक्त.
सेवा	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी	सेवा प्रदान	प्रथम अपील	प्रथम अपील	द्वितीय अपील
क्र.	,	का पदनाम	करने की निश्चित समय–सीमा	अधिकारी का पदनाम	के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.11	कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा की धारा 6, 7 सहपठित नियम 6 के अंतर्गत गैर खरतनाक श्रेणी के कारखानों की नवीन अनुज्ञप्ति जारी किया जाना.	मुख्य कारखाना निरीक्षक, म. प्र. इन्दौर (संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा).	30 कार्य दिवस.	श्रम आयुक्त, म. प्र. इंदौर.	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव / सचिव, श्रम विभाग.

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.20	कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 6, 7 सपठित	मुख्य कारखाना निरीक्षक म. प्र. इंदौर (संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा).	30 कार्य दिवस.	श्रम आयुक्त, म. प्र., इंदौर.	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव/ सचिव श्रम विभाग.
1	नियम 3-ए के अंतर्गत कारखानों के साईट प्लान एवं विस्तृत नक्शों की अनुज्ञा जारी किया जाना		) ) 2			

2.17 मोटर एवं अन्य संनिर्माण राजपत्रित श्रेणी का कर्मकार अधिनियम, जिला स्तरीय श्रम 1996 के अंतर्गत पंजीयन अधिकारी / जिले में का प्रदाय

राजपत्रित श्रेणी का अधिकारी पदस्थ न होने पर संबंधित संभाग का सहायक श्रमायुक्त.

30 कार्य दिवस.

कलेक्टर

30 कार्य संभाग आयुक्त दिवस.

## शुद्धि-पत्र

क्र. एफ-2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी -2.-विभागीय समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 189, दिनांक 18 मई, 2015 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 18 मुई, 2015 में मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत श्रम विभाग की सेवाएं प्रकाशित की गई है, अधिसूचना के पृष्ट क्रमांक 377 सेवा क्रमांक 2.17 के कॉलम (2) में वर्णित सेवाएं में उल्लेखित "मोटर" के स्थान पर "भवन" पढ़ा जावे.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

# ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 626]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2014-पौष 3, शक 1936

लोक सेवा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2014

क्र. एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-17.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 10 अप्रैल 2013 के माध्यम से आवास एवं पर्यावरण विभाग (वर्तमान में नगरीय विकास एवं पर्यावरण) द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम अधिसृचित किया गया है. उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात् :--

#### मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत् नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की सेवाएं

क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की	प्रथम अपील अधिकारी का	प्रथम अपील के निराकरण	द्वितीय अपील प्राधिकारी का
		नग नव्यान	निश्चित	पदनाम	की निश्चित	पदनाम
			समय-सीमा		समय सीमा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

17.3 जल (प्रदूषण निवारण क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय तथा नियंत्रण) उ:धि-नियम, 1974 की धारा नियंत्रण बोर्ड. 25 के तहत् पर्यावरण स्वीकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त लघ् श्रेणी उद्योगों को सम्मति.

कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण

दिवस

45 कार्य सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदुषण नियंत्रण मंडल.

30 कार्य दिवस

अध्यक्ष, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.

17.4 वायु (प्रदूषण निवारण क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय 45 कार्य . सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण 30 कार्य अध्यक्षा, म.प्र. नियंत्रण) कार्यालय, म.प्र. प्रद्षण दिवस नियंत्रण मंडल. दिवस प्रदुषण नियंत्रण अधिनियम, 1981 की नियंत्रण बोर्ड. बोर्ड. धारा 21 के तहत् पर्यावरण स्वीकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त लघु श्रेणी उद्योगों को सम्मति. 17.7 जल (प्रदूषण निवारण अध्यक्ष, म.प्र. प्रदूषण 45 कार्य उप सचिव, मध्यप्रदेश 30 कार्य प्रमुख सचिव, नियं गण) तथा नियंत्रण बोर्ड. दिवस शासन, नगरीय विकास एवं दिवस नगरीय विकास अधिनियम, 1974 की पर्यावरण. एवं पर्यावरण. धारा 25 के तहत् पर्यावरण स्वीकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त वृहद् / मध्यम श्रेणी उद्योगों को सम्मति. 17.8 वायु (प्रदूषण निवारण अध्यक्ष, म.प्र. प्रदूषण 45 कार्य उप सचिव, मध्यप्रदेश 30 कार्य प्रमुख सचिव, तथा नियंत्रण) नियंत्रण बोर्ड. दिवस शासन, नगरीय विकास एवं दिवस नगरीय विकास अधिनियम, 1981 की पर्यावरण. एवं पर्यावरण. धारा 21 के तहत् पर्यावरण स्वीकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त वृहद् / मध्यम श्रेणी उद्योगों को सम्मति. 17.13 लाल/नारंगी/हरी श्रेणी के क्षेत्रीय अधिकारी. 45 कार्य सदस्य सचिव 30 कार्य अध्यक्ष, म. प्र. 10 करोड़ तक लागत वाले क्षेत्रीय कार्यालय, दिवस. म. प्र. प्रदूषण दिवस. प्रदूषण नियंत्रण उद्योगों 5000 वर्गमीटर म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण नियंत्रण मंडल. बोर्ड. तक निर्माण वाली बोर्ड. आवासीय योजनाओं, बोल्डर गिट्टी एवं रेत खदान को परिसंकटमय अपशिष्ठ नियम, 2016 के नियम के अन्तर्गत प्राधिकार (17) प्रकार के अतिपद्षणकारी एवं पर्यावरणीय स्वीकृति वाले एवं खतरनाक अपशिक्षों की रिसाई क लिंग एवं रिरिफाईनिंग वाले उद्योगों को छोड़कर). 17.16 लाल/नारंगी/हरी श्रेणी के अध्यक्ष, म. प्र. 45 कार्य उप सचिव 30 कार्य प्रमुख सचिव, 10 करोड़ लागत से प्रदुषण नियंत्रण दिवस. मध्यप्रदेश दिवस. नगरीय विकास अधिक वृहद/मध्यम शासन. एवं पर्यावरण. उद्योगों 5000 वर्गमीटर से अधिक की निर्माण. परियोजनायें, मेजर एवं माईनर मिनरल्स की सभी खदानों को परिसंकटमय अपशिष्ठ नियम, 2016 के नियम के अन्तर्गत

प्राधिकार.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

# ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 481]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 5 सितम्बर 2017-भाद्र 14, शक 1939

## लोक सेवा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2017

क्र. एफ-2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-1.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा उर्जा विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवाएँ, पदािभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

# मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत उर्जा विभाग की सेवाएं

	10141					
नेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की	प्रथम अपील अधिकारी का	प्रथम अपील के निराकरण	द्वितीय अपील प्राधिकारी का
9P∗			निश्चित	पदनाम	की निश्चित की	पदनाम
			समय-सीमा		गयी समय–सीमा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
.16	अ. मीटर/	अ. शहरी क्षेत्र-जोन/	5 कार्य	कार्यपालन यंत्री	15 कार्य	अधीक्षण
. 10	सर्विस लाइन	वितरण केन्द्र प्रभारी.	दिवस.		दिवस.	अभियंता.
	अथवा मीटर की परिसर में ही शिफ्टिंग	ब. ग्रामीण क्षेत्र- वितरण केन्द्र प्रभारी.	10 कार्य दिवस.	कार्यपालन यंत्री	15 कार्य दिवस.	अधीक्षण अभियंता,
	हेतु मांग पत्र जारी करना.					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	ब. मांग पत्र	अ. शहरी क्षेत्र-जोन/	5 कार्य	कार्यपालन यंत्री	15 कार्य	अधीक्षण
	अनुसार राशि जमा करने के	वितरण केन्द्र प्रभारी.	दिवस.		दिवस.	अभियंता.
	उपरांत मीटर/	ब. ग्रामीण क्षेत्र-	10 कार्य	कार्यपालन यंत्री	15 कार्य	अधीक्षण
	सर्विस लाइन	वितरण केन्द्र प्रभारी.	दिवस.		दिवस.	अभियंता
	अथवा मीटर					
	की परिसर में					
	ही शिफ्टिंग					
	करना.					
.17	विवादित	अ. शहरी क्षेत्र-जोन/	5 कार्य	कार्यपालन यंत्री	15 कार्य	अधीक्षण
	बिजली बिल	वितरण केन्द्र प्रभारी:	दिवस.		दिवस.	अभियंता
	की शिकायत					
	का निराकरण	ब. ग्रामीण क्षेत्र-	10 कार्य	कार्यपालन यंत्री	15 कार्य	अधीक्षण
	(बिजली चोरी	वितरण केन्द्र प्रभारी	दिवस.		दिवस.	अभियंता
	के प्रकरणों को					
	छोड़कर).			*		
1.18	बकाया राशि	अ. शहरी क्षेत्र-जोन/	2 कार्य	कार्यपालन यंत्री	15 कार्य	अधीक्षण
	का भूगतान	वितरण केन्द्र प्रभारी.	दिवस.		दिवस.	अभियंता
	उपरांत					EMPLY TIME
	विच्छेदित	ब. ग्रामीण क्षेत्र-	4 कार्य	कार्यपालन यंत्री	15 कार्य	अधीक्षण
	कनेक्शन को	वितरण केन्द्र प्रभारी.	दिवस.		दिवस.	अभियंत
	पुन: संयोजित					
	करना.					

क्र. एफ-2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-34.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत नाप तौल विभाग की पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 14 जुलाई 2017 में संशोधन करते हुए नापतौल विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत नाप तौल विभाग की सेवाएं

				-		
सेवा	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी	सेवा प्रदान	प्रथम अपील	प्रथम अपील	द्वितीय अपील
क्र.	•	का पदनाम	करने की	अधिकारी का	के निराकरण	प्राधिकारी का
			निश्चित	पदनाम	की निश्चित की	पदनाम
			समय-सीमा		गयी समय-सीमा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अ	ीन निर्माता नुज्ञप्ति रायगी.	नियंत्रक नाप-तौल द्वारा अधिकृत अधिकारी (संयुक्त	45 कार्य दिवस.	नियंत्रक नाप-तौल	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, खाद्य.
213		नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी).				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
34.14	निर्माता अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण.	नियंत्रक नाप-तौल द्वारा अधिकृत अधिकारी (संयुक्त नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी).	30 कार्य दिवस.	नियंत्रक नाप-तौल	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, खाद्य.
34.15	नवीन विक्रेता अनुज्ञप्ति प्रदायगी.	नियंत्रक नाप-तौल द्वारा अधिकृत अधिकारी (संयुक्त नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी).	30 कार्य दिवस.	नियंत्रक नाप–तौल	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, खाद्य.
34.16	विक्रेता अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण.	नियंत्रक नाप-तौल द्वारा अधिकृत अधिकारी (संयुक्त नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी).	15 कार्य दिवस.	नियंत्रक नाप-तौल	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, खाद्य.
34.17	नवीन सुधारक अनुज्ञप्ति प्रदायगी.	नियंत्रक नाप-तौल द्वारा अधिकृत अधिकारी (संयुक्त नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी).	30 कार्य दिवस.	नियंत्रक नाप-तौल	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, खाद्य.
34.18	सुधारक अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण.	नियंत्रक नाप-तौल द्वारा अधिकृत अधिकारी (संयुक्त नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी).	15 कार्य दिवस.	नियंत्रक नाप–तौल	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, खाद्य.
34.19	पैकबंद वस्तुओं के निर्माता/ पैककर्ता/आया तकर्ता का पंजीयन.	नियंत्रक नाप-तौल द्वारा अधिकृत अधिकारी (संयुक्त नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी).	07 कार्य दिवस.	नियंत्रक नाप–तौल	07 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, खाद्य.

क्र. एफ-2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-35.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा सहकारिता विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवाएँ, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत सहकारिता विभाग की सेवाएं

साख पत्र जारी करना.

#### प्रथम अपील द्वितीय अपील प्रथम अपील पदाभिहित अधिकारी सेवा प्रदान सेवा सेवाएं अधिकारी का के निराकरण प्राधिकारी का करने की का पदनाम क्र. की निश्चित की पदनाम निश्चित पदनाम गयी समय-सीमा समय-सीमा (6) (7) (5) (4) (3) (2) (1) 20 कार्य 1. अपर 45 कार्य 1. संभागीय संयुक्त 1. जिला स्तर पर नवीन सहकारी 35.3 पंजीयक दिवस. दिवस. पंजीयक. उप/सहायक पंजीयक. संस्था का मुख्यालय. 2. अपर पंजीयक पंजीयन. 2. संभाग स्तर पर

मुख्यालय.

3. पंजीयक सहकारी

संस्थाएं, म. प्र. •

35.4 फिशरमैन प्राथिमक कृषि साख 30 कार्य जिले क्रेडिट कार्ड सहकारी संस्था के दिवस. आयु योजना के संस्था प्रबंधक. तहत् किसान

संयुक्त पंजीयक.

अपर/पंजीयक.

3. प्रदेश स्तर पर

जिले के उप/सहायक 30 कार्य आयुक्त सहकारिता. दिवस.

कार्य संभाग के इस. संयुक्त आयुक्त

आयुक्त सहकारिता.

2. पंजीयक

सहकारी

संस्थाएं,

म. प्र.
3.प्रमुख
सचिव
म. प्र.
शासन
सहकारिता.



# मध्यप्रदेशा राजपत्र

# ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 187]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 18 मई 2015-वैशाख 28, शक 1937

### लोक सेवा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 मई 2015

क्र. एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-5.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

#### मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत् नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की सेवाएं

सेवा	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी	सेवा प्रदान	प्रथम अपील	प्रथम अपील	द्वितीय अपील
क्र.		का पदनाम	करने की	अधिकारी का	के निराकरण	प्राधिकारी का
			निश्चित	पदनाम	की निश्चित की	पदनाम
			समय-सीमा		गई समय-सीमा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.5	कॉलोनाइजर लायसेंस.	(1) आयुक्त, नगरपालिक निगम के लिए.	30 कार्य दिवस.	संभाग आयुक्त	30 कार्य दिवस.	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास.
		(2) कलेक्टर, नगरपालिका एवं नगर परिषद् के लिए.	30 कार्य दिवस.	संभाग आयुक्त	30 कार्य दिवस.	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास.
5.6	1. कॉलोनी विकास अनुज्ञा (ले–आउट).	जिले में पदस्थ संयुक्त संचालक/उप संचालक/ सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश.	60 कार्य दिवस.	<ol> <li>अपर संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश (जहां संयुक्त संचालक, जिला अधिकार के रूप में पदस्थ हैं).</li> </ol>	30 कार्य दिवस.	आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				2. संभागीय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश (जहां उप संचालक/सहायक संचालक जिला अधिकार के रूप में पदस्थ हैं).		
	<ol> <li>कॉलोनी</li> <li>विकास अनुज्ञा</li> <li>(आंतरिक</li> </ol>	(1) कलेक्टर, नगरपालिका एवं नगर परिषद् के लिए.	30 कार्य दिवस.	संभाग आयुक्त	30 कार्य दिवस.	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास.
	विकास).	(2) आयुक्त, नगरपालिक निगम के लिए.	30 कार्य दिवस.	संभाग आयुक्त	30 कार्य दिवसं	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास.
5.7	भवन अनुज्ञा प्रमाण-पत्र.	(1) नगरपालिका/नगर परिषद् क्षेत्र का मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर	30 कार्य दिवस.	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास.
		(2) नगरपालिक निगम क्षेत्र में आयक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (यदि प्राधिकृत किया गया हो).	30 कार्य दिवस.	आयुक्त, नगर निगम	30 कार्य दिवस.	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास.
		(3) आयुक्त, नगरपालिक निगम	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर	30 कार्य दिवस.	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास.
5.8	फायर एन.ओ.सी. (1) आस्थाई	मुख्य अभियन्ता, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास.	60 कार्य दिवस.	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास.	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग.
	(2) नवीनीकरण	मुख्य अभियन्ता, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास.	30 कार्य दिवस.	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास.	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग.

## मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत् वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत म. प्र. ट्रॉयफेक की सेवाएं

सेवा	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी	सेवा प्रदान	प्रथम अपील	प्रथम अपील	द्वितीय अपील
क्र.		का पदनांम	करने की	अधिकारी का	के निराकरण	प्राधिकारी का
			निश्चित	पदनाम	की निश्चित की	पदनाम
			समय-सीमा		गई समय-सीमा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
37.1	औद्योगिक	कार्यपालन यंत्री	15 कार्य	महाप्रबंधक, एकैव्हीएन	10 कार्य	अध्यक्ष
	इकाइयों के		दिवस.		दिवस.	एकेव्हीएन.
	लिये जल का					
	आवंटन.					
		<del></del> , <u>;                                    </u>				



# मध्यप्रदेश राजपत्र

# ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 256]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 27 जून 2015-आषाढ़ 6, शक 1937

## लोक सेवा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जून 2015

क्र. एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-1.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, ऊर्जा विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

## मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत् ऊर्जा विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं		पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.9	उच्च दाब के स्थायी नवीन कनेक्शन का	अ.	33 के. व्ही. तक-च प्रभारी अधीक्षण यंत्री.	वृत्त ७ कार्य दिवस.	क्षेत्रीय मुख्य अ	भियंता 15 व दिवर	• • •
	स्वीकृत पत्र (सेंक्शन लेटर)	অ.	132 एवं 220 के. व्ही. क्षेत्रीय मुख्य अभियंता.	. 30 कार्य दिवस.	प्रमुख (वाणिष कार्पोरेट कार्यात		The second secon
	प्रदान करना.			511			



# मध्यप्रदेश राजपत्र

# ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 540]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 10 अक्टूबर 2017—आश्विन 18, शक 1939

## लोक सेवा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2017

क्र. एफ-2-23-2017-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-02.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा श्रम विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली नवीन सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

#### मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत श्रम विभाग की सेवाएं

					20	
सेवा	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी	सेवा प्रदान	प्रथम अपील	प्रथम अपील	द्वितीय अपील
क्र.		का पदनाम	करने की	अधिकारी का	के निराकरण	प्राधिकारी का
			निश्चित	पदनाम	की निश्चित की	पदनाम
			समय-सीमा		गई समय-सीमा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.32	संविदा श्रम	प्राधिकृत श्रम	30 कार्य	उप श्रम आयुक्त	45 कार्य	अपर श्रम
	(विनियम एवं समाप्ति) अधिनियम	अधिकारी	दिवस.		दिवस.	आयुक्त/श्रम आयुक्त.
	1970 के अंतर्गत प्रमुख नियोजक को					
	पंजीयन प्रदान किया					
	जाना.					

### भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2017

क्र. एफ-2-23-2017-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-42.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत मदरसा बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली नवीन सेवाएं पदािभहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत मदरसा बोर्ड की सेवाएं

			बाड का सवाए			
सेवा क्र.	सेवाएं (2)	पदाभिहित अधिका का पदनाम (3)	री सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा (4)	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम (5)	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा (6)	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम (7)
42.1	मदरसा पंजीयन एवं मदरसा के लिए बोर्ड से मान्यता.	संबंधित जिला अधिकारी.	जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन अपने अभिमत सहित आनलाईन/आफलाईन द्वारा बोर्ड में भेजने हेतु 45 कार्य दिवस	संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण म. प्र.	30 कार्य दिवस.	अध्यक्ष म. प्र. मदरसा बोर्ड.
		सचिव, म. प्र. मदरसा बोर्ड.	जिला शिक्षा अधिकारी से निरीक्षण प्रतिवेदन अनुशंसा सहित आनलाईन/आफलाईन प्राप्त होने पर पंजीयन एवं नवीन मान्यता जारी करने हेतु 30 कार्य दिवस.	अपर/संयुक्त संचालक (अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ) लोक शिक्षण म. प्र.	30 कार्य दिवस.	अध्यक्ष म. प्र. मदरसा बोर्ड.
42.2	मदरसा मान्यता का नवीनीकरण.	सचिव, म. प्र. मदरसा बोर्ड.	आनलाईन आवेदन पश्चात् आवेदन की हार्ड कापी सहपत्रों सहित प्राप्त होने पर. (अ) स्क्रूटनी उपरांत आवेदन पूर्ण पाये जाने पर मान्यता का नवीनीकरण जारी करने हेतु 30 कार्य दिवस. (ब) आवेदन की स्क्रूटनी में कमी पाये जाने पर आवेदन को अवगत कराने हेतु 30 कार्य दिवस.	अपर/संयुक्त संचालक (अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ) लोक शिक्षण म. प्र.	30 कार्य दिवस.	अध्यक्ष म. प्र. मदरसा बोर्ड.

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8		(स) कमी की पूर्ति बोर्ड में प्राप्त होने पर मान्यता का नवीनीकरण जारी करने हेतु 30 कार्य दिवस.	8		
2.3 समिति पंजीयन	सचिव, म. प्र. मदरसा बोर्ड.	आनलाईन आवेदन पश्चात् आवेदन की हार्डकापी निर्धारित सहपत्रों सिहत बोर्ड को प्राप्त होने के पश्चात् समिति पंजीयन कर प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु 45 कार्य दिवस.	अपर/संयुक्त संचालक (अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ) लोक शिक्षण म. प्र.	30 कार्य दिवस.	अध्यक्ष म. प्र मदरसा बोर्ड.
12.4 समिति का नवीनीकरण.	सचिव, म. प्र. मदरसा बोर्ड.	(अ) आनलाईन आवेदन पश्चात् आवेदन पश्चात् आवेदन की हार्डकापी निर्धारित सहपत्रों सहित बोर्ड को प्राप्त होने पर पदाधिकारी पूर्वानुसार होने की स्थित में समिति नवीनीकरण प्रमाण पत्र जारी करने हेतु 45 कार्य दिवस. (ब) बिन्दु क्रमांक - अ के अन्तर्गत पदिधकारी पूर्वानुसार नहीं होने की स्थित में ठहराव प्रस्ताव मंगाने हेतु 30 कार्य दिवस. (स) बिन्दु क्रमांक - ब की कमी पूर्ति होने के उपरान्त 30 कार्य दिवस.	अपर/संयुक्त संचालक (अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ) लोक शिक्षण म. प्र.	30 कार्य दिवस.	अध्यक्ष म. प्र मदरसा बोर्ड.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, **हरिरंजन राव,** सचिव.

## भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2017

क्र. एफ-2-23-2017-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-20.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली नवीन सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

## मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग की सेवाएं

सेवा	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी	सेवा प्रदान	प्रथम अपील	प्रथम अपील	द्वितीय अपील
क्र.		का पदनाम	करने की	अधिकारी का	के निराकरण	प्राधिकारी का
			निश्चित	पदनाम	की निश्चित की	पदनाम
			समय-सीमा		गई समय–सीमा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

## मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों/आईआईडीसी/एम.पी. ट्रायफेक के आधिपत्य के विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि के आवंटन हेतु

20.8 आशय पत्र जारी करना.	प्रबंध संचालक, म. प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम/ आईआईडीसी.	15 कार्य दिवस (विधिवत् पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के उपरांत).	प्रबंध संचालक म. प्र. ट्रेड एण्ड इन्बेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. भोपाल.	60 कार्य दिवस.	अध्यक्ष म. प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कोपेरिशन लिमि. भोपाल.
20.9 आवंटन आदेश जारी करना.	प्रबंध संचालक, म. प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम/ आईआईडीसी.	7 कार्य दिवस (आशय पत्र में विहित शर्तों की पूर्ति होने के उपरांत).	प्रबंध संचालक म. प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. भोपाल.	60 कार्य दिवस.	अध्यक्ष म. प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कोपोंरेशन लिमि. भोपाल.
20.10 पटटा अभिलेख का निष्पादन.	प्रबंध संचालक, म. प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम/ आईआईडीसी.	30 कार्य दिवस (आवंटन आदेश की शर्तों की पूर्ति सहित).	प्रबंध संचालक म. प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. भोपाल.	60 कार्य दिवस.	अध्यक्ष म. प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कोपोंरेशन लिमि. भोपाल.
20.11 आधिपत्य प्रदान करना.	प्रबंध संचालक, म. प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम/ आईआईडीसी.	07 कार्य दिवस (पट्टा अभिलेख के पंजीयन होने के उपरांत).	प्रबंध संचालक म. प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. भोपाल.	60 कार्य दिवस.	अध्यक्ष म. प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कोपेरिशन लिमि. भोपाल.
20.12 म. प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों/आईआईडीसी के अधीन नगरीय क्षेत्रों के औद्योगिक क्षेत्रों में भवन निर्माण की अनुमति.	प्रबंध संचालक, म. प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमि./इण्डस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (ग्वालियर) एम. पी.	30 कार्य दिवस.	प्रबंध संचालक म. प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. भोपाल.	15 कार्य दिवस.	अध्यक्ष म. प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कोपोंरेशन लिमि. /प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग भोपाल.

### भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2017

क्र. एफ-2-23-2017-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-38.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत म. प्र. संचालक वाष्पयंत्र द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली नवीन सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत म. प्र. संचालक वाष्ययंत्र की सेवाएं

सेवा	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी	सेवा प्रदान	प्रथम अपील	प्रथम अपील	द्वितीय अपील
क्र.		का पदनाम	करने की	अधिकारी का	के निराकरण	प्राधिकारी का
			निश्चित	पदनाम	की निश्चित की	पदनाम
			समय-सीमा		गई समय–सीमा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
38.2	वायलर	निरीक्षण बायलर	17 कार्य दिवस	संचालक बायलर	30 कार्य	प्रमुख सचिव,
	अधिनियम 1923	ग्रेड-2/ग्रेड प्रथम/			दिवस.	वाणिज्य उद्योग
	की धारा 8 के	उप संचालक				एवं रोजगार
	अंतर्गत बायलर	बायलर (संचालक				विभाग.
	का निरीक्षण.	बायलर द्वारा				
		कार्यक्षेत्र आवंटन				
		के अंतर्गत नामित				
		अधिकारी).				×
38.3	भारतीय बायलर	निरीक्षण बायलर	30 कार्य दिवस	संचालक बायलर	30 कार्य	प्रमुख सचिव,
	विनियम 1950	ग्रेड-2/ग्रेड प्रथम/			दिवस.	वाणिज्य उद्योग
	के विनियम 392	उप संचालक		54		एवं रोजगार
	(5) के अंतर्गत	बायलर (संचालक	15	(Q)		विभाग.
	बायलर	बायलर द्वारा				
	निर्माणकर्ता	कार्यक्षेत्र आवंटन				
	इकाईयों का	के अंतर्गत नामित				30
	अनुमोदन.	ु अधिकारी).				
38.4	भारतीय बायलर	निरीक्षण बायलर	30 कार्य दिवस	संचालक बायलर	30 कार्य	प्रमुख सचिव,
	विनियम 1950	ग्रेड-2/ग्रेड प्रथम/			दिवस.	वाणिज्य उद्योग
	के विनियम 392	उप संचालक				एवं रोजगार
	(5) के अंतर्गत	बायलर (संचालक				विभाग.
	बायलर	बायलर द्वारा		ū.		
	इरेक्शनकर्ता	कार्यक्षेत्र आवंटन				
	इकाईयों का	के अंतर्गत नामित				
	अनुमोदन.	अधिकारी).				

### भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2017

क्र. एफ-2-23-2017-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-05.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शिंकयों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली नवीन सेवाएं, पदािभहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम नम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सेवाएं

 सेवा	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी	सेवा प्रदान	प्रथम अपील	प्रथम अपील	द्वितीय अपील
क्र.		का पदनाम	करने की	अधिकारी का	के निराकरण	प्राधिकारी का
			निश्चित	पदनाम	की निश्चित की	पदनाम
			समय-सीमा		गई समय-सीमा	4-1
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
.9 ट्रेड	लाइसेंस	मुख्य नगरपालिका अधिकारी/नगर परिषद् क्षेत्र के लिए.	30 कार्य दिवस	परियोजना अधिकारी, जिला शहर विकास अभिकरण.	15 कार्य दिवस.	संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय विकास एवं आवास.
		आयुक्त, नगर पालिक निगम द्वारा प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका निगम क्षेत्र के लिए.	30 कार्य दिवस	आयुक्त, नगर पालिका निगम.	15 कार्य दिवस.	अपर आयुक्त नगरीय विकास एवं आवास.
वृक्षों (वृक्षों काटक काटने उसके की ३	रीय निकाय मा के अंतर्गत तों के परीक्षण ध्रों को टकर गिराने, टने, हटाने या के व्ययन) अनुज्ञा	मुख्य नगरपालिका अधिकारी/नगर परिषद् क्षेत्र के लिए.	30 कार्य दिवस	परियोजना अधिकारी, जिला शहर विकास अभिकरण.	15 कार्य दिवस.	संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय विकास एवं आवास.
		वृक्ष अधिकारी नगर पालिका निगम क्षेत्र के लिए	30 कार्य दिवस	आयुक्त, नगर पालिका निगम.	15 कार्य दिवस.	अपर आयुक्त नगरीय विकास एवं आवास.

(1)	*	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
5.11	(2) नगरीय निकाय सीमा के अंतर्गत वृक्षों के परीक्षण नियम में अनुमति प्राप्त वनोपज के लिये अभिवहन	मुख्य नगरपालिक अधिकारी/नगर परिषद् क्षेत्र के लिए.	ा 30 कार्य <sup>†</sup>	दिवस	परियोजना अ जिला शहर अभिकरण.		संभागीय संयुत्त 15 <mark>संज्ञाया</mark> क, दिवसीय विकास एवं आवास.
	पास.	वृक्ष अधिकारी 30 नगर पालिका निगम क्षेत्र के लिए	) कार्य दिवस	आयुक्त, निगम.	नगर पालिका	15 कार्य दिवस.	अपर आयुक्त नगरीय विकास एवं आवास.

### मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत् वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत म. प्र. ट्रॉयफेक की सेवाएं

सेवा	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी	सेवा प्रदान	प्रथम अपील	प्रथम अपील	द्वितीय अपील
क्र.		का पदनाम	करने की	अधिकारी का	के निराकरण	प्राधिकारी का
			निश्चित	पदनाम	की निश्चित की	पदनाम
			समय-सीमा		गई समय-सीमा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
37.1	औद्योगिक	कार्यपालन यंत्री	15 कार्य	महाप्रबंधक, एकैव्हीएन	10 कार्य	अध्यक्ष
	इकाइयों के		दिवस.		दिवस.	एकेव्हीएन.
	लिये जल का					
	आवंटन.					
		<u></u>				

क्र. एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी. 38.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत म. प्र. संचालक, वाष्पयंत्र, द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत् वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत म. प्र. संचालक वाष्ययंत्र की सेवाएं

सेवा	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी	सेवा प्रदान	प्रथम अपील	प्रथम अपील के निराकरण	द्वितीय अपील प्राधिकारी का
क्र.		का पदनाम	करने की निश्चित समय-सीमा	अधिकारी का पदनाम	क ।नराकरण को निश्चित की गई समय–सीमा	प्राविकारा का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
38.1	बायलर अधिनियम	निरीक्षक बायलर ग्रेड 2/ग्रेड प्रथम/उप	30 कार्य दिवस.	निरीक्षक बायलर ग्रेड- प्रथम/उप संचालक	20 कार्य दिवस.	संचालक बायलर.
	1923 की धारा 7 के अंतर्गत बायलर का पंजीयन.	संचालक बायलर (संचालक बायलर द्वारा कार्यक्षेत्र आवंटन के अंतर्गत नामित		बायलर.		
		अधिकारी).				



# मध्यप्रदेश राजपत्र

# ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 583]

भोपाल, गुरूवार, दिनांक 26 अक्टूबर 2017—कार्तिक 4, शक 1939

### लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 26 अक्टूबर 2017

क्र. एफ-2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-20.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवा, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

### मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत वाणिज्य, उद्योग एवं रोजागर विभाग की सेवाएं

 सेवा	 सेवाएं	 पदाभिहित अधिकारी	सेवा प्रदान	 प्रथम अपील	प्रथम अपील	द्वितीय अपील
क्र.	सपार	का पदनाम	करने की	अधिकारी का	के निराकरण	प्राधिकारी का
ж.		34 19 11 1	निश्चित	पदनाम	की निश्चित की	पदनाम
			समय-सीमा		गयी समय-सीमा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	आशय-पत्र जारी क				r	
20.13 वि	त्रत्तीय सुविधा/	प्रबंधक (फिस्कल	03 कार्य	महाप्रबंधक/मुख्य	०७ कार्य	प्रबंध संचालक
स	हायता हेतु	इन्सेंटिव).	दिवस.	महाप्रबंधक	दिवस.	एम. पी.
सै	द्धांतिक स्वीकृति			(फिस्कल		ट्रायफेक.
प	त्र (उद्योग नीति			इन्सेंटिव).		
37	ानुसार).					

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20.14 वित्तीय सुविधा/ सहायता की पात्रता का निर्धारण.	राज्य स्तरीय साधिकार समिति (मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित).	60 कार्य दिवस. (विधिवत पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के उपरांत).	राज्य स्तरीय साधिकार समिति (मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित).	60 कार्य दिवस.	निवेश संवर्द्धन पर मंत्री परिषद समिति (सी सी आई सी).
20.15 वेट/जीएसटी अन्तर्गत वितरण (दिनांक 01-07-2017 से जीएसटी प्रणाली अंतर्गत प्रतिपूर्ति).	एम. पी. ट्रायफेक का संचालक मंडल.	60 कार्य दिवस. (विधिवत पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के उपरांत).	प्रमुख सचिव, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग.	60 कार्य दिवस.	राज्य स्तरीय साधिकार समिति (एस एल ई सी)
20.16 वृहद श्रेणी की टेक्सटाईल इकाइयों हेतु ब्याज अनुदान.	प्रबंध संचालक, एम. पी. ट्रायफेक.	45 कार्य दिवस. (विधिवत पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के उपरांत).	प्रमुख सचिव, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग.	30 कार्य दिवस.	राज्य स्तरीय साधिकार समिति (एस एल ई सी)
20.17 अधोसंरचना विकास पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति (बिजली, पानी एवं सड़क निर्माण हेतु).	प्रबंध संचालक, एम. पी. ट्रायफेक.	45 कार्य दिवस. (विधिवत पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के उपरांत).	प्रमुख सचिव, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग.	30 कार्य दिवस.	राज्य स्तरीय साधिकार समिति (एस एल ई सी)
20.18 औद्योगिक पार्क की स्थापना/विकास हेतु सहायता.	प्रबंध संचालक, एम. पी. ट्रायफेक.	45 कार्य दिवस. (विधिवत पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के उपरांत).	प्रमुख सचिव, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग.	30 कार्य दिवस.	राज्य स्तरीय साधिकार समिति (एस एल ई सी)
20.19 वृहद श्रेणी इकाइयों हेतु अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों (ईटीपी/ एसटीपी आदि) की स्थापना पर पूंजी अनुदान (हरित	प्रबंध संचालक, एम. पी. ट्रायफेक.	45 कार्य दिवस. (विधिवत पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के उपरांत).	प्रमुख सचिव, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग.	30 कार्य दिवस.	राज्य स्तरीय साधिकार समिति (एस एल ई सी)

नोट:— क्र. 2, 3, 4, 5 एवं 6 पर उल्लेखित सहायता हेतु निर्धारित समय-सीमा प्रकरण स्वीकृति के लिये है, किन्तु सहायता राशि वितरण, बजट की उपलब्धता के अधीन होगा.